उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार– 249404

संख्या : 44/02/E-2/DR/APO/2021-22 **दिनाँक : 25 जून, 2024**

सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2021 के अन्तर्गत अनर्ह सूची

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 'सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2021' के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका सं0 85 ऑफ 2023 (एस/बी) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में मुख्य (लिखित) परीक्षा के आधार पर विज्ञप्ति सं0–04 दिनांक 10 अप्रैल, 2024 के माध्यम से दिव्यांगजन उपश्रेणी के 02 पदों के सापेक्ष साक्षात्कार परीक्षा हेतु 05 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से सफल घोषित किया गया। उक्त साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों की सन्निरीक्षा की गयी। उक्त सन्निरीक्षा के आधार पर 'अनर्ह अभ्यर्थी' का विवरण निम्नवत् हैः–

अनर्ह सूची

क्र0 सं0	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	श्रेणी/उपश्रेणी	अनर्हता का कारण
1	237615	मेघना भट्ट	GEN/PH(PB)	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित उपश्रेणी PH(PB) के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्रों दिनांक 22.06.2022 एवं 16.04.2024 के आधार पर 90 प्रतिशत दिव्यांगता के साथ **B- Blind** श्रेणी में आती हैं, जो दिव्यांगता की उपश्रेणी **IV a (Blindness)** के अन्तर्गत है। प्रश्नगत विज्ञापन में उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी **(PB)** के लिए चिन्हांकित होने के सापेक्ष अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन में अपेक्षित दिव्यांगता की उपश्रेणी **(PB)** से अधिक दिव्यांग **B-Blind** होने के कारण प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह।

नोट – अनर्ह सूची में अंकित अभ्यर्थी अपनी अनर्हता के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन (संगत अभिलेख सहित) **दिनांक 02 जुलाई, 2024 (सांय 06:00 बजे)** तक डाक अथवा अन्य किसी भी माध्यम से (कार्य दिवस–सोमवार से शुक्रवार) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार–249404 के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अपने प्रत्यावेदन **ई–मेल आई0डी0 soexamtwo2@gmail.com** पर उक्त निर्धारित तिथि तक प्रेषित कर सकते है। उक्त अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नही किया जायेगा।

-sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।